राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

२०२५/७५

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	55/25	4/3/25		17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री अम्बालाल पुत्र देवीलाल श्री शंकरीबाई पत्नी नन्दलाल

निवासी विक्रमपुरा निवासी विक्रमपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री पिकेश धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

अम्बालाल बनाम रूपकरीबाई

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 55 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03 2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 17/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को वास्ते तामील पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 3 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली मे विपक्षीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	न्यायालय उपखण्ड ... बिजौलियाँ जिला-भी...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 55/25 तारीख 5/3/25

01. अम्बालाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. छगनलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

03. सुनिल कुमार पुत्र दिनेश जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. शंकरीबाई पत्नि नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. जीतमल पुत्र खाना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक 25/3/25

प्रार्थना पत्र अम्बालाल, छगनलाल पुत्र देबीलाल, सुनिल कुमार पुत्र दिनेश जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री पिंकोश धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 4 पर अंकित आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792/344 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.1538 हैक्टेयर सामलाती भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 4 पर अंकित आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792/344 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.1538 हैक्टेयर सामलाती भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 55/25 तारीख 5/3/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....55..................../ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. अम्बालाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड उम्र वयरक पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. छगनलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. सुनिल कुमार पुत्र दिनेश जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. शंकरीबाई पत्नि नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. जीतमल पुत्र खाना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 4 पर अंकित आराजी संख्या 343/2 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 792/344 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.1538 हैक्टेयर सामलाती भूमि** की बशामलात पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेडा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ... भीलवाड़ा